

दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

❖ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी ❖  
बृहस्पतिवार, 19 अक्टूबर, 1995 / आश्विन 27, 1917 ❖शक❖

संख्या. 221

सदस्य की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को सम्बोधित थानाध्यक्ष, संसद मार्ग, नई दिल्ली से दिनांक: 17. 10. 95 को निम्नलिखित संसूचना 18. 10. 95 को प्राप्त हुई :-

" श्री शोएब इकबाल, विधायक को उनके अन्य समर्थकों सहित आज अर्थात् दिनांक: 17. 10. 95 को अपराह्न 2.00 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों की अवज्ञा करने के कारण पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 65 के अंतर्गत नज़रबंद किया गया ।

उन्हें उनके अन्य समर्थकों सहित उसी दिन अर्थात् 17. 10. 95 को अपराह्न 2. 20 बजे पुलिस थाना, संसद मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया ।"

पी. एन. गुप्ता  
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART - II

(General information relating to Legislative and other matters)

Thursday, October 19, 1995/Ashvina 27, 1917 (Saka)

No. 221

DETENTION AND RELEASE OF A MEMBER

The following wireless message dated 17.10.1995 addressed to the Hon'ble Speaker, Delhi Legislative Assembly from the S.H.O., Parliament Street, New Delhi was received on 18.10.1995 :-

"Shri Shoaib Iqbal, M.L.A. alongwith his other supporters was detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 at 1400 hours on 17.10.95 for disobeying the lawfull directions of Police from Police Station, Parliament Street, New Delhi.

He alongwith his other supporters was released at 1420 hours, the same day, i.e. 17.10.95 from Police Station, Parliament Street, New Delhi."

P.N.GUPTA  
SECRETARY